(11)

न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 135/2005

सरकार जरिये तहसीलदार, फागी।

प्रार्थी,

बनाम

गोविन्दनारायण पुत्र श्री सुन्दरलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–मंदिर श्री ठाकुर जी ग्राम सांगानेर, तहसील–सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 22.07.2019

तहसीलदार, फागी द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–फतेहरामपुरा की आराजी खसरा संख्या कुल किता 24 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी वाके सांगानेर पुजारी सुन्दर लाल पुत्र महादेव लाल, जाति–ब्राह्मण साकिन सांगानेर खुदकाश्त मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी वाके सांगानेर पुजारी सुन्दर लाल पुत्र महादेव लाल, जाति–ब्राह्मण साकिन सांगानेर खुदकाश्त के बजाय पुजारी सुन्दर लाल पुत्र महादेव लाल के नाम दर्ज हो गई और विरासत के फलस्वरूप अप्रार्थी गोविन्द नारायण के नाम दर्ज है, मूर्ति को नाबालिग माना गया है और मूर्ति की खुदकाश्त विज आराजी को निजि खातेदारी में नियमों के विपरीत दर्ज की गई है जो पुनः माफी मन्दिर ठाकुर जी वाके सांगानेर खुदकाश्त के नाम दर्ज की जावे।

Scanned by CamScanner

(12)

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 के कॉलम सं0 03 नाम मातमीदार व हिस्सेदार मे माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी वाके सांगानेर पुजारी सुन्दर लाल पुत्र महादेव लाल, जाति–ब्राह्मण साकिन सांगानेर व कॉलम सं0 04 नाम खातेदार वल्दियत कीमियत सकूनत में खुदकाश्त दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये पुजारी सुन्दर लाल पुत्र महादेव लाल, जाति–ब्राह्मण के नाम दर्ज कर दी गई, तत्पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 196 स्वीकार किया गया हैं जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया इन्द्राज/हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है मूर्ति की खुदकाश्त आराजी को किसी भी प्रकार से निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना कानूनन वर्जित है अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मंदिर श्री ठाकुर जी खुदकाश्त के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2011–2030 में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी वाके सांगानेर पुजारी सुन्दर लाल पुत्र महादेव लाल, जाति–ब्राह्मण साकिन सांगानेर खुदकाश्त के नाम दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित है। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को

Scanned by CamScanner

(13)

प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी वाके सांगानेर पुजारी सुन्दर लाल पुत्र महादेव लाल, जाति–ब्राह्मण साकिन सांगानेर खुदकाश्त की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी वाके सांगानेर पुजारी सुन्दर लाल पुत्र महादेव लाल, जाति–ब्राह्मण साकिन सांगानेर खुदकाश्त दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काबिज–काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी वाके सांगानेर पुजारी सुन्दर लाल पुत्र महादेव लाल, जाति–ब्राह्मण साकिन सांगानेर खुदकाश्त की भूमि का इन्द्राज पुजारी सुन्दर लाल पुत्र महादेवलाल के नाम तत्पश्चात विरासत के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 में निजी खातेदारी गोविन्द नारायण अप्रार्थी के नाम दर्ज है जो न्यायसंगत नहीं है। बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये सुन्दर लाल पुत्र महादेव लाल के हक में किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का तथा इसके पश्चातवर्ती के इन्द्राजों को राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0 नं0 221 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख0 नं0 223 रकबा 15 बिस्वा, ख0 नं0 224 रकबा 10 बिस्वा, ख0 नं0 225 रकबा 5 बिस्वा, ख0 नं0 226 रकबा 15 बिस्वा, ख0 नं0 228 रकबा 16 बिस्वा, ख0 नं0 229 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख0 नं0 230 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, ख0 नं0 231 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख0 नं0 232 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0 नं0 233 रकबा 12 बिस्वा, ख0 नं0 234 रकबा 10 बिस्वा, ख0 नं0 247 ठाकुर जी वाला रकबा 13 बिस्वा, ख0 नं0 248 ठाकुर जी वाला रकबा 19 बिस्वा, ख0 नं0 249 ठाकुर जी वाला रकबा 9 बिस्वा, ख0 नं0 250 ठाकुर जी वाला रकबा 11 बिस्वा, ख0 नं0 251 ठाकुर जी वाला रकबा 13 बिस्वा, ख0 नं0 252 ठाकुर जी वाला रकबा 16 बिस्वा, ख0 नं0 253 ठाकुर जी वाला रकबा 11 बिस्वा, ख0 नं0

Scanned by CamScanner

(14)

254 ठाकुर जी वाला रकबा 10 बिस्वा, ख0 नं0 256 ठाकुर जी वाला रकबा 6 बिस्वा, ख0 नं0 255 ठाकुर जी वाला रकबा 11 बिस्वा, ख0 नं0 180/404 रकबा 6 बिस्वा, ख0 नं0 179/405 रकबा 6 बिस्वा वापिस माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी वाके सांगानेर खुदकाश्त के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 30.09.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner